UPMA010044712022

न्यायालय–विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी ऐक्ट), मऊ।
अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1940/2022
न्यायिक अधिकारी कोड–6110

नगमा परवीन बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य।

धारा–419, 420, 467, 468, 471, 120बी, 504 व 506 भादंसं. व 3(1) द एस.सी./एस.टी. ऐक्ट।
थाना–मुहम्दाबाद, जिला मऊ।
मुकदमा अपराध संख्या–250/2022

दिनांकः 16.11.2022 **आदेश**

1. अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–250/2022, धारा–419, 420, 467, 468, 471, 120बी, 504 व 506 भादंसं. व 3(1) द एस.सी./एस.टी. ऐक्ट, थाना मुहम्दाबाद, जिला मऊ में प्रार्थिनी/अभियुक्ता नगमा परवीन द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने के निवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा अनिल कुमार के पिता सूर्यधार राम की मृत्यु वर्ष, 2016 में हो चुकी है। उसका तथा उसके भाईयों का नाम राजस्व अभिलेख में दिनांक 10.04.2018 को अंकित हो गया है। उसके गांव के सटे गांव के भू–माफिया उसकी आराजी नेजाई पैतृक संक्रमणीय भूमिधरी भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की है, यह जानते हुए तीनो भाई बराबर के हिस्सेदार हैं, जिसको खरीदने व बेचने में जिलाधिकारी महोदय की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। उसके व उसके बडे भाई हेमन्त कुमार के हक व हिस्से की पूरी भूमि पर जाली व फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार किए हैं, जिसपर उसके मृतक पिता व बडे भाई हेमन्त कुमार की पुरानी फोटो चस्पा कर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर हक व हिस्सा हडपने की नीयत से फर्जी कूटरचित अपंजीकृत व पंजीकृत दस्तावेजों के माध्यम से भूमि पर अनाधिकृत कब्जा दखल में हस्तक्षेप कर रहे हैं तथा कब्जा करने की फिराक में है। दिनांक 02.05.2022 को करीब दस बजे दिन में उसके निर्माण कार्य को उपरोक्त लोग रोक रहे हैं। मना करने पर जातिसूचक गालियां व जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

3. प्रार्थिनी/अभियुक्ता की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, वह निर्दोष हैं। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वादी मुकदमा अपने भाई प्रवीण कुमार को विक्रय विलेख अनुबन्ध के बावजूद जमीन का समय सीमा के अंदर बैनामा नहीं लिखने दिया। वादी मुकदमा अपने वकील होने का धौस दिखाकर उसे व अन्य लोगों को भयभीत कर रहा है तथा जेल भेजवाना चाहता है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। वह विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगी। अतः अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा वादी मुकदमा की जमीन हडपने के लिए कूटरचित दस्तावेज तैयार किया गया एवं कब्जा दखल में व्यवधान किया गया तथा निर्माण करने पर जातिसूचक गालियां व जानमाल की धमकी दी गयी। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

5. मैने प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक, एस. सी./एस.टी.ऐक्ट के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

6. प्रपत्रों के परिशीलन से विदित होता है कि, प्रार्थिनी/अभियुक्ता पर अपराध अन्तर्गत धारा–419, 420, 467, 468, 471, 120बी, 504 व 506 भादंसं. व 3(1) द एस.सी./एस. टी. ऐक्ट का आरोप है, जिसमें प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा अग्रिम जमानत का निवेदन किया गया है। अभियोजन कथन के अनुसार वादी मुकदमा व उसके भाई की जमीन को हड़पने के लिए जाली व फर्जी कूटरचित दस्तावेज साजिश के तहत तैयार किया गया एवं जब वादी निर्माण करा रहा था तो उसे रोका गया एवं जातिसूचक गालियां दी गयी तथा जानमाल की धमकी दी गयी। वादी का यह भी कहना है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, जिनका तथा उसके भाई हेमन्त कुमार का पुराना फोटो लगाकर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर जमीन हडपने का प्रयास किया गया, जब कि बिना जिलाधिकारी के स्वीकृति से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन का खरीद फरोख्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रार्थिनी/अभियुक्ता पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर साजिश के तहत वादी व उसके भाई की जमीन को हडपने के लिए जाली व कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, जिसे असली के रूप में प्रयोग करने तथा गाली–गुप्ता व जानमाल की धमकी दिए जाने एवं सार्वजनिक दृष्यमान स्थान पर अपमानित व प्रकोपित करने का आरोप है।

मामले के उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

7. अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थिनी/अभियुक्ता नगमा परवीन, मुकदमा अपराध संख्या–250/2022, धारा–419, 420, 467, 468, 471, 120बी, 504 व 506 भादंसं. व 3(1) द एस.सी./एस.टी. ऐक्ट, थाना मुहम्दाबाद, जिला मऊ निरस्त किया जाता है।

(**श्रीमती ललिता गुप्ता**)
विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी ऐक्ट)
मऊ।